न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 43/ 2018 जिला दौसा

कालूराम पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल पुत्र मांग्या
2. सांवलराम पुत्र कास्या उर्फ काशीराम
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्रम मांगल्यावास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा
दिनांक 14.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री के.एम.शर्मा

निर्णय

दिनांक– 13.3.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 14.6.2018 के खिलाफ धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट रामफूल पुत्र मांग्या व सांवलराम पुत्र कांस्या उर्फ कांशीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे अशुद्ध अंकन हिस्सा 1/8 के स्थान पर शुद्धिकरण कर भौर्‍या, ज्ञाना, मूल्या, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/6, रामदेव पुत्र पांच्या, जगन्नाथ पुत्र छोटू हिस्सा 1/6, गोविन्दा पुत्र चेता हिस्सा 1/6 एवं रामचन्द्र पुत्र सुखपाल हिस्सा 1/6 , मांग्या पुत्र मंगला हिस्सा 1/6 , कास्या पुत्र ग्यारस्या हिस्सा 1/6 दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा ने

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.6.2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प रामगढ पचवारा में पारित किया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा में भौर्‌या , मूल्या, ज्ञाना, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/8 , कन्हैया लाल , मीठालाल, कालूराम, श्योपाल पि. मूल्या , मंगली पत्नि स्व. मूल्या हि.ब.हि. 1/8 , पांची देवी पत्नि स्व. काशीराम , रामसहाय , सांवलराम, श्योराम, जयराम पि. काशीराम हि.ब.हि 1/6 , रामफूल पुत्र मांग्या हि. 1/6 , ननगी देवी पत्नि बिरदाराम हि. 1/6 , जमना पत्नि रामजी लाल हि. 1/8, चन्दा पुत्र भौर्‌या हि. 1/36 , शम्भू लाल पुत्र रामसहाय हि. 1/12 , हनुमान पुत्र उदा , रामनाथ पुत्र पांचू, बदरी पुत्र मूल्या हि.ब.हि. 1/12 शुद्ध किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट कालूराम पुत्र मूल्या द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दिनांक 14.6.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर अपीलान्ट व अन्य सहकृषक को पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलांट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने में असमर्थ रहा । अपीलान्ट व उसके भाई कन्हैया लाल, मीठा लाल, श्योपाल व माता मंगली बेवा मूल्या 1/2 हिस्से की काबिज सहकृषक दर्ज रिकार्ड है और अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बिना सुने अपीलान्ट व अन्य का हिस्सा 1/2 की जगह 1/8 कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जमाबन्दी में दर्ज समस्त सहकृषकगण को भी पक्षकार नहीं बनाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है । रेस्पोंडेन्ट ने हाल जमाबन्दी भी पेश नहीं की जिसमें प्रश्नगत आराजी का रकबा हैक्टेयर में आ चुका है और प्रश्नगत आदेश बीघा बिस्वा की जमाबन्दी के आधार पर पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 89 के अन्तर्गत दी जाने वाली दादरसी धारा 136 के तहत देकर विधिक त्रुटि की है ।

पि. मूल्या , मंगली पत्नि स्व. मूल्या हि.ब.हि. 1/8 , पांची देवी पत्नि स्व. काशीराम , रामसहाय , सांवलराम, श्योराम, जयराम पि. काशीराम हि.ब.हि 1/6 , रामफूल पुत्र मांग्या हि. 1/6 , ननगी देवी पत्नि बिरदाराम हि. 1/6 , जमना पत्नि रामजी लाल हि. 1/8, चन्दा पुत्र भौर्‌या हि. 1/36, शम्भू लाल पुत्र रामसहाय हि. 1/12 , हनुमान पुत्र उदा , रामनाथ पुत्र पांचू, बदरी पुत्र मूल्या हि.ब.हि. 1/12 शुद्ध किया जावे । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा उचित एवं विधिसम्यक है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा में पक्षकारान के हिस्से परिवर्तन किये जाने के संबंध में है । जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 एवं 2036 से 2039 के अनुसार तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि में भौर्‌या, मूल्या, ज्ञाना, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/8 हि.ब. लाल्या वल्द हरजी हि. 1/40, रूगनाथ सरवण, भूर्‌या, रूपा पि. रामदेव हि. 1/10 हि.ब. ,गंगल्या वल्द छोटू हि. 1/8, गोविन्दा वल्द चेता हि. 1/8, रामचन्दरा पुत्र सुखपाल , मांग्या वल्द मंगला , कास्या वल्द ग्यारसा हि. 1/2 हि.ब. दर्ज रिकार्ड होना व इस प्रकार भौर्‌या ,मूल्या, ज्ञाना, जयनारायण पि. नन्दा हि. 1/8, कन्हैया लाल, मीठा लाल, कालूराम, श्योपाल पि. मूल्या, मंगली पत्नि स्व. मूल्या हि.ब. हि.1/8, पांची देवी पत्नि स्व. काशीराम, रामसहाय, सांवलराम, श्योराम, जयराम पि. काशीराम हि.ब.हि. 1/6 , रामफूल पुत्र मांग्या हि.1/6, नानगी देवी पत्नि बिरदाराम हि.1/6, जमना पत्नि रामजी लाल हि.1/18, चन्दा पुत्र भौर्‌या हि. 1/36 , शम्भू लाल पुत्र रामसहाय हि.1/12, हनुमान पुत्र उदा, रामनाथ पुत्र पांचू , बदरी पुत्र मूल्या हि.ब.हि. 1/12 शुद्ध दर्ज होने बाबत अंकन किया है । उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.6.2018 से तहसीलदार रामगढ पचवारा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोंडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा में भौंर्‌या , मूल्या, ज्ञाना, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/8 , कन्हैया लाल , मीठालाल, कालूराम, श्योपाल पि. मूल्या , मंगली पत्नि स्व. मूल्या हि.ब.हि.1/8 , पांची देवी पत्नि स्व. काशीराम , रामसहाय , सांवलराम, श्योराम, जयराम पि. काशीराम हि.ब.हि 1/6 , रामफूल पुत्र मांग्या हि. 1/6, ननगी देवी पत्नि बिरदाराम हि. 1/6 , जमना पत्नि रामजी लाल हि. 1/8, चन्दा पुत्र भौर्‌या हि. 1/36 , शम्भू लाल पुत्र रामसहाय हि. 1/12 , हनुमान पुत्र उदा , रामनाथ पुत्र पांचू, बदरी पुत्र मूल्या हि.ब.हि. 1/12 शुद्ध किया जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2061–2064 एवं 2069–2072 के अनुसार अपीलान्ट कालूराम पुत्र मूल्या खातेदार अंकित है जिसे बिना पक्षकार बनाये रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2018 पारित कर विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन किये हैं । अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार होने से उसे पक्षकार बनाया जाना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य उचित एवं न्यायिक है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को बिना पक्षकार बनाये एवं उसे बिना सुने उसके हितों के विपरीत पारित आदेश को विधिक आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों पर परीक्षण किये बिना केवल तहसीलदार रामगढ पचवारा की जॅाच रिपोर्ट को आधार मानकर आदेशिका पर बहुत ही संक्षिप्त पारित किया है, जिसे स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दिनांक 14.6.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा , जिला दौसा दिनांक 14.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर